

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 21, मंगलवार, शाके 1947- अगस्त 12, 2025 <i>Sravana 21, Tuesday, Saka 1947- August 12, 2025</i>	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 31, 2025

(अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1))

Rajkaj 16888014 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार मान्नीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में स्वीकृत उदयपुर-बांसवाड़ा रोड़ कि.मी. 218 (एस.एच.-32) माही नदी पर लसाड़ा ब्रिज (उच्च स्तरीय पुल) का निर्माण किया जाना है।

उक्त परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ तहसील सागवाड़ा, जिला-डूंगरपुर में निम्नानुसार प्रभावित गांवों में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.सं.	जिला	तहसील	गांव	सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	डूंगरपुर	सागवाड़ा	वमासा	उपखण्ड अधिकारी, सागवाड़ा

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में निम्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम या अन्य कोई स्थानीय निकाय से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड बेणेश्वर धाम, मुख्यालय-आसपुर, जिला-डूंगरपुर (राज.) को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(6) के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर संबंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी होंगे।

अधिशायी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड बेणेश्वर धाम, मुख्यालय-आसपुर, जिला-डूंगरपुर (राज.) द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगा:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात् प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3. जन-सुनवाई के दौरान आए सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाघात को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में संबंधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अछूत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ किया जायेगा एवं अधिकतम 6 माह की अवधि में सम्पूर्ण करवाया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र:-

सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई

कार्यालय अधिशायी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड बेणेश्वर धाम,
मुख्यालय-आसपुर, जिला-डूंगरपुर

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी

आर वी इन्फ्रा कंसल्टेंट

(श्री कमलेश कुमार शर्मा-सोशल एक्सपर्ट)

मोबाईल: 9799899347

बी-08, दादू दयाल नगर विस्तार, इस्काँन रोड,

मानसरोवर, जयपुर-302020

आर.के.लूथरा,

संयुक्त सचिव (पथ),

सार्वजनिक निर्माण विभाग।